

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

विज्ञप्ति सं०-PR...../2025

प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी०एल०एड०) पाठ्यक्रम के सत्र 2026-2028 में नामांकन हेतु
डी०एल०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2026 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना

प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी०एल०एड०) पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, शिक्षा विभाग, बिहार के पत्रांक 12/विधि-11/2016-4078, दिनांक 03.12.2025 द्वारा प्राप्त संशोधित संयुक्त प्रवेश परीक्षा विवरणिका (सत्र 2026-28) के आलोक में सत्र 2026-28 में डी०एल०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2026 में सम्मिलित होने के इच्छुक अभ्यर्थी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य संबंधितों को सूचित किया जाता है कि, NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्रदत्त डी०एल०एड० प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित राज्य के सभी राजकीय/अराजकीय प्रशिक्षण संस्थानों में कुल स्वीकृत सीटों के विरुद्ध नामांकन के लिए चयन हेतु डी०एल०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2026 (online) का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन (online) माध्यम से दिनांक 11.12.2025 से 24.12.2025 तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु मेधा सूची एवं संस्थानों की प्रथमिकता (Merit-Cum-Choice) के आधार पर, संस्थान आवंटित होगा, जिसके लिए समिति द्वारा अलग से विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी।

1.1 प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा :- प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी०एल०एड०) अध्यापक शिक्षा का दो वर्ष का व्यावसायिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य शिक्षा की प्रारम्भिक अवस्था अर्थात् कक्षा I से VIII तक के लिए अध्यापकों को तैयार करना है।

2. अवधि :- डी०एल०एड० कार्यक्रम दो शैक्षणिक-वर्षों की अवधि वाला होगा किन्तु, विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष तक की अवधि में इस कार्यक्रम को पूरा करने की अनुमति होगी।

2.1 प्रत्येक वर्ष में कार्य करने के कम से कम दो सौ दिन होंगे, जिसमें परीक्षा और प्रवेश की अवधि शामिल नहीं होगी।

2.2 संस्था सप्ताह (पांच अथवा छः दिन) में कम से कम छत्तीस घंटे कार्य करेगी, जिसके दौरान संस्था में सभी अध्यापकों और विद्यार्थी अध्यापकों का उपस्थित रहना आवश्यक है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सलाह, मार्गदर्शन, वार्तालाप और परामर्श के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

2.3 विद्यार्थी-अध्यापकों की न्यूनतम उपस्थिति प्रायोगिक कार्य सहित पूरे पाठ्यक्रम के लिए 80 प्रतिशत एवं स्कूल इंटर्नशिप के लिए 90 प्रतिशत होगी।

3. प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता

(i) उच्च माध्यमिक (+2) अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंकों वाले उम्मीदवार डी०एल०एड० पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं।

(ii) नामांकन हेतु सभी आरक्षित कोटि/निःशक्त उम्मीदवारों के लिए अर्हता अंकों में 5% की छूट होगी।

(iii) 50 प्रतिशत अंकों के साथ मीलवी की परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थी डी०एल०एड० पाठ्यक्रम में नामांकन के पात्र होंगे।

(iv) डी०एल०एड० पाठ्यक्रम में नामांकन लेने हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए वैसे अभ्यर्थी भी आवेदन जमा कर सकेंगे जो वर्ष 2026 की उच्च माध्यमिक (+2) अथवा उसके समकक्ष की वार्षिक परीक्षा, 2026 में सम्मिलित होंगे; लेकिन डी०एल०एड० पाठ्यक्रम में नामांकन उच्च माध्यमिक (+2) अथवा उसके समकक्ष की परीक्षा में 50 प्रतिशत (आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 05 प्रतिशत की छूट) अंक पाकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी का होगा।

(v) वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्री, पॉलिटेक्निक, आई.टी.आई. या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं, वे डी०एल०एड० कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। लेकिन किसी अभ्यर्थी ने 10+2 में वोकेशनल कोर्स के अन्तर्गत

योग्यता हासिल की है अथवा जिन्होंने मध्यमा के बाद इण्टर 10+2 अथवा फौकानिया के बाद इण्टर, 10+2 की योग्यता हासिल की है, वे डी०एल०एड० कोर्स में नामांकन के पात्र होंगे।

4. उम्र सीमा (Age Limit)

अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र सीमा 17 वर्ष (नामांकन वर्ष के प्रथम माह की प्रथम तिथि को)(सभी कोटि के लिए) होगी।

5. प्रवेश प्रक्रिया (Admission Process)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित डी०एल०एड० ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार मेधा सूची (Merit List) के अनुसार बिहार के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी संबद्धता प्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थानों में 'प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा' (डी०एल०एड०) कोर्स में नामांकन हेतु बिहार राज्य सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार, सरकार द्वारा उर्दू तथा कला/वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों के लिए निर्धारित स्थानों तथा अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय के लिए दी गई प्राथमिकता (College Choice) को दृष्टिपथ में रखते हुए Online कम्प्यूटरीकृत रूप से अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटित किया जाएगा।

6. आरक्षण :-

(क) **उर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation)** डी०एल०एड० (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में) प्रवेश में अनुसूचित जातियों (S.C.), अनुसूचित जनजातियों (S.T.), पिछड़ा वर्ग (B.C.), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (E.B.C.), पिछड़े वर्ग की महिलाओं (W.B.C.) एवं आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों (E.W.S.), के पक्ष में क्रमशः 16 प्रतिशत, 01 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 03 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण बिहार सरकार की अभिसूचना/शासनादेश के अनुसार देय होगा।

(ख) **क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)**

- सरकारी नियमानुसार कुल स्वीकृत सीटों में से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पाँच प्रतिशत (5%), बिहार राज्य के निवासी सेवारत/सेवानिवृत्त/दिवंगत/भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के आश्रित पुत्र/आश्रित अविवाहित पुत्री को पाँच प्रतिशत (5%) क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
- उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए दस प्रतिशत (10%) स्थान आरक्षित होगा। क्षैतिज आरक्षण के रूप यह आरक्षण लागू होगा, परंतु यह आरक्षण लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्होंने +2 स्तर की परीक्षा में उर्दू विषय के साथ उत्तीर्णता हासिल की है।
- सभी संस्थानों में कुल सीट का 50 प्रतिशत विज्ञान तथा 50 प्रतिशत कला/वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा।

7. प्रवेश परीक्षा (Entrance Test)

प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन माध्यम (Computer Based Test) से आयोजित होगी। इस परीक्षा में 120 प्रश्न होंगे जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक होंगे।

7.1 प्रवेश परीक्षा की अवधि (Duration of Entrance Test)

प्रवेश परीक्षा की अवधि 150 मिनट (2-30 घंटा) की होगी।

7.2 प्रवेश परीक्षा का प्रारूप (Pattern of Entrance Test)

क्रम सं०	विषय	प्रश्नों की संख्या	निर्धारित अंक
1	सामान्य हिन्दी (General Hindi)/ उर्दू (Urdu)	25	25
2	गणित (Mathematics)	25	25
3	विज्ञान (Science)	20	20
4	सामाजिक अध्ययन (Social Studies)	20	20
5	सामान्य अंग्रेजी (General English)	20	20
6	तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता (Logical & Analytical Reasoning)	10	10
कुल		120	120

प्रत्येक सही उत्तर के लिए 01 (एक) अंक दिये जाएँगे।

7.3 **न्यूनतम अर्हक अंक (Minimum Qualifying Marks) :-** डी०एल०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम अर्हक अंक अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 35 प्रतिशत तथा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 30 प्रतिशत होंगे।

8. **परीक्षा शुल्क (Examination Fee) :-**

क्रम सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क
1	सामान्य कोटि/आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य कोटि के अभ्यर्थी/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग	960/-₹०
2	अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति/दिव्यांग	760/-₹०

9. **आवेदन करने की तिथि :-** उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु केवल निर्धारित अहर्ता रखने वाले अभ्यर्थियों से सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से समिति के वेबसाइट <https://www.bsebedeled.com> पर आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन-पत्र एवं परीक्षा शुल्क दिनांक 11.12.2025 से 24.12.2025 तक स्वीकार किये जाएंगे।

10. **नार्मलाइजेशन (Normalization)**

ऑनलाइन विधि से आयोजित की जाने वाली वैसी प्रतियोगिता परीक्षाएँ, जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है, एक से अधिक पालियों (Sitting)/तिथियों (Dated) में आयोजित की जाती है। उनमें सामान्यतया अलग-अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग-अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व Normalization की विधि अपनाई जाती है, ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई खास लाभ या हानि नहीं हो। इसलिए इस परीक्षा में भी Normalization विधि अपनाकर परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा।

11. **ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि एवं परीक्षा आवेदन-पत्र समिति के वेबसाइट पर अपलोड करने का तरीका निम्नवत् है :-**

• वेबसाइट <https://www.bsebedeled.com> पर आवेदन की प्रक्रिया तीन चरण में पूर्ण होगी। (i) पंजीकरण, (ii) फॉर्म भरना एवं (iii) परीक्षा शुल्क का भुगतान।

(i) **पंजीकरण** – प्रथम बार में अभ्यर्थी "Register (New Candidate)" पर क्लिक करें। तत्पश्चात् Initial Registration का पेज खुलेगा। उस पेज पर अभ्यर्थी का नाम, ई-मेल, मोबाईल नम्बर तथा पासवर्ड अंकित कर Register बटन पर क्लिक करेंगे। आवेदक को "Register" बटन पर क्लिक करने से पहले सावधानी पूर्वक भरे गये विवरणों की जाँच करनी होगी, क्योंकि इसके बाद के चरण में आवेदन में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। Register करने के पश्चात आपके पंजीकृत मोबाईल पर SMS के माध्यम से एक OTP भेजा जाएगा, जिसका उपयोग करते हुए ऑनलाइन पंजीकरण का कार्य सम्पन्न करेंगे। इसके पश्चात आवेदन पत्र भरने के लिए Log-in कर सकेंगे।

(ii) **आवेदन पत्र भरना** – पोर्टल के मुख्य पेज पर Log-In करने पर आवेदन-पत्र का पेज खुलेगा। उस पेज पर अभ्यर्थी अपना व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक-प्रशैक्षणिक विवरण भरेंगे। उसके बाद अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करेंगे। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में दी गई सभी प्रविष्टियों को भरने के उपरांत 'Save' बटन पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात 'Preview' बटन पर क्लिक कर आवेदन पत्र में अंकित सभी प्रविष्टियों की सतर्कता पूर्वक जाँच करेंगे और आवश्यकता होने पर त्रुटि सुधार हेतु 'Edit' बटन पर क्लिक कर संशोधन कर पुनः 'Save' बटन पर क्लिक करेंगे।

(iii) **परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया**– अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु 'Pay' बटन पर क्लिक करेंगे जो आवेदन पत्र के निचले भाग में उपलब्ध रहेगा। परीक्षा शुल्क की राशि Debit Card/Credit Card/Net Banking/UPI के माध्यम से भुगतान करने की अनुमति होगी। इसके अलावे अन्य कोई माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान स्वीकार नहीं होगा।

अपलोड रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर : अभ्यर्थी के फोटोग्राफ का स्कैन किए हुए साइज 20kb से 100kb तक एवं आयाम 4.5 cm x 3.5 cm होना चाहिए एवं हस्ताक्षर का स्कैन किया हुआ साइज 10kb से 50kb तक होना चाहिए।

- रंगीन फोटोग्राफ हाल (Recent) का होना चाहिए एवं Background सफेद अथवा हल्का रंग का होना चाहिए एवं कैमरे के सामने का खींचा हुआ होना चाहिए तथा अभ्यर्थी की आँखें एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए।
- फोटो खिंचवाने के समय टोपी, कोई कपड़ा अथवा काला चश्मा स्वीकार्य नहीं है।
- यदि फोटोग्राफ में लाल-आँख (Red Eye Effect) का प्रभाव है, तो कृपया इसे Edit कर हटा दें।

12. प्रमाण पत्रों को अपलोड करना

- a) मैट्रिक (10th) का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र (जन्म तिथि के लिए)।
- b) इंटर (12th) का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
- c) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र।
- d) अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमिलेयर रहित अद्यतन प्रमाण पत्र
(आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं के जाति/अद्यतन क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से)
- e) आर्थिक रूप से पिछड़ा सामान्य कोटि के अभ्यर्थी (E.W.S.) का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
- f) दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
- g) बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए निवास प्रमाण पत्र (Residential Certificate)।
- h) बिहार राज्य निवासी सेवारत/सेवानिवृत्त/दिवंगत/भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के आश्रित पुत्र/आश्रित अविवाहित पुत्री का दावा करने वाले अभ्यर्थी के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।

13. यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड को अभ्यर्थी भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेंगे एवं इसकी गोपनीयता बनाये रखेंगे। इस यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड को समिति कार्यालय में कदापि न भेजें। इस यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड के माध्यम से अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार के त्रुटिपूर्ण विवरण ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के बाद अपलोडेड Dummy Admit Card को डाउनलोड कर समिति के उक्त वेबसाइट <https://www.bsebedealed.com> पर जाकर सुधार कर सकेंगे।

नोट : ऑनलाइन के अलावे किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

14. यह आवश्यक है कि Online परीक्षा आवेदन पत्र स्वयं के द्वारा भरा जाए। किसी आवेदक का अपूर्ण रूप से भरा हुआ या दूसरे के द्वारा भराया गया अथवा एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत/रद्द कर दिया जाएगा।
15. ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा भरे गये विवरण गलत पाये जाने पर उनके आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते हुए उनका परीक्षाफल रद्द कर दिया जाएगा।
16. केवल घोषणा पत्र एवं आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (CAPITAL LETTER) का प्रयोग वर्जित है।
17. उक्त परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार के विवाद का मामला केवल उच्च न्यायालय, पटना के क्षेत्राधिकार में होगा।
18. इस परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों तक ही प्राप्त किया जा सकेगा।
19. आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदक अपने आवेदन फार्म की एक हार्ड कॉपी डाउनलोड करेंगे एवं सुरक्षित संभारित रखेंगे। भरे गये आवेदन में किसी प्रकार की जानकारी गलत पाये जाने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त हो जाएगी।
20. परीक्षा आवेदन भरे जाने की प्रक्रिया से लेकर परीक्षाफल प्रकाशन की प्रक्रिया के बीच अथवा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि संबंधित परीक्षार्थी इस परीक्षा हेतु पात्र नहीं था, तो उसका अभ्यर्थित्व एवं परीक्षाफल रद्द कर दिया जाएगा।

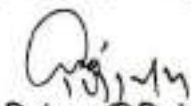
21.

परीक्षा आवेदन पत्र में विवरणों को शुद्ध-शुद्ध अंकित किए जाने के संबंध में आवश्यक मार्ग निर्देश :-

- i. इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के इच्छुक/पात्र अभ्यर्थी को परामर्श दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के क्रम में अपने सभी विवरणों को पूर्णतः सही-सही भरा जाना सुनिश्चित करेंगे।
- ii. आवेदकों द्वारा ऑनलाइन भरे गए परीक्षा आवेदन के विवरणों के आधार पर समिति द्वारा उनका प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा।
- iii. आवेदकों की सुविधा के लिए परीक्षा आवेदन पत्र का प्रपत्र समिति के पोर्टल पर अपलोड किया गया है। आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे प्रथमतः आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर लें तथा उसमें वांछित विवरणों को पहले गली-गोली कलम (Pen) से भर लें तथा उसके उपरांत इन विवरणों को पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्ट करें। यह कार्य मात्र आवेदन के पोर्टल पर विवरणों की ऑनलाइन शुद्ध-शुद्ध प्रविष्टि के उद्देश्य से किया जाना है। अतएव डाउनलोड किए गए आवेदन प्रपत्र को भौतिक रूप से न तो समिति कार्यालय में भेजे जाने की आवश्यकता है और न ही इसे स्वीकार किया जाएगा।
- iv. वैसे इच्छुक आवेदक जो ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र साइबर कैफे के माध्यम से भर रहे हैं उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे स्वयं साइबर कैफे में बैठकर कम्प्यूटर स्क्रीन पर विवरणों की, की जा रही प्रविष्टि (Entry) का सतर्कता पूर्वक अवलोकन करते रहेंगे तथा यह आश्वस्त होकर कि सभी विवरण सही-सही एवं त्रुटिरहित भरे गए हैं, वे अपने आवेदन को Submit करेंगे। आवेदक आवेदन पत्र भरने के क्रम में View बटन को Click कर अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः जाँच (Review) कर लें। यदि ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो तो Edit बटन को Click का अपना वांछित विवरण सुधार करते हुए अपने आवेदन को सुरक्षित करने के लिए Save बटन पर Click करें। Submit किए जाने के पश्चात त्रुटि के निराकरण से संबंधित कोई भी अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।
- v. कभी-कभी ऐसा देखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय 'E.B.C. (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)' के आवेदक द्वारा पोर्टल पर त्रुटिवश 'E.W.S. (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)' श्रेणी तथा 'E.W.S. (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)' के आवेदक के द्वारा 'E.B.C. (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)' श्रेणी अंकित कर दिया जाता है, जो पूर्णतः गलत है। आवेदक द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किए गए आरक्षण श्रेणी के आधार पर ही उनका परीक्षा परिणाम तैयार होगा तथा उक्त के आधार पर ही संस्थान आवंटन का निर्धारण किया जाएगा। त्रुटिपूर्ण आरक्षण श्रेणी अंकित किए जाने की स्थिति में उनका परीक्षा परिणाम एवं संस्थान आवंटन प्रभावित हो सकता है, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी। अतः आवेदक आरक्षण श्रेणी अंकित करने में पर्याप्त सतर्कता बरतेंगे।
- vi. निर्धारित अवधि में विहित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं किए जाने वाले आवेदकों का प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा।
- vii. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से भरे गए आवेदन पत्र में दिए गए विवरण युक्त प्रवेश पत्र ही निर्गत किया जाएगा। नूल प्रवेश पत्र निर्गत होने के उपरांत किसी भी विवरण में किसी भी संशोधन का अनुरोध कदापि मान्य नहीं होगा।

23. उक्त परीक्षा से संबंधित पृच्छा के लिए **हेल्प लाइन नम्बर- 7903859788** पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा **Grievances** लिंक पर भेजी जा सकती है।

24. परीक्षाफल घोषित होने के उपरान्त उक्त परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार हेतु दावा मान्य नहीं होगा।


 परीक्षा नियंत्रक (विधि),
 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति।
